पेश किया. फिर शामिल पत्रावली किया जाकर नकल वकील प्रार्थी को दी गयी ~~[illegible]~~ बहस उभय पक्षकरान चाही। बहस ~~[illegible]~~ उभय पक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 30-8-16 को पेश हो।

30-8-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम काकड़िया पटवार हलका ओकलाक तहसील मोडल में स्थित दो नम्बर हाल आराजी नं. 1092/120 रकबा 1 बीघा, 1100/85 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा लइकण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की त... मे जारी...
	स० कोगा जाट, कायिम हेड के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी की नकल कस्बा 2071 के 2074 वर्गाकं० से होती है। प्रार्थी ने काराजी न० 85 रकबा 4 बीघा खाम आवंटन बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदनपत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को आवंटन कलाहकार कमेटी द्वारा काराजी न० 85 रकबा 1 बीघा खाम आवंटन की गयी। तथा प्रार्थी को काराजी न० 120 रकबा 1 बीघा खाम आवंटन कलाहकार कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। तथा कब्जा करा सिपुर्दगी नामा प्रस्तुत किया जिसके प्रार्थी को काराजी न० 85 में 1 बीघा तथा 120 मे 1 बीघा खाम सिपुर्दगी की गयी। जिसकी ताईद प्रस्तुत सिपुर्दगी नामा की फोटो प्रति से होती है प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रार्थना पत्र के कथित तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी को काराजी न० 85 व 120 मे के 1-1 बीघा खाम आवंटन हुई। आवंटन के पश्चात प्रार्थी को सिपुर्दगी मे दी गयी लेकिन सिपुर्दगी मे देने के पश्चात नक्शा कम आराजी नम्बर के बटा नम्बर पडते हुए तरमीम होना चाहिये। किन्तु प्रार्थी ने काराजी न० 85 व 120 का नक्शा लेकिन 85 व 120 ~~...~~ मे बाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी सिपुर्दगी नामा के बाद तरमीम शुदा नक्शा प्रस्तुत नहीं किया। मात्र हाल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया। जबकि प्रार्थी का कब्जा बाबत कोई दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं है किन्तु वकील विपक्षी ने प्रस्तुत जवाब मे स्पष्ट कथन किया कि कब्जे व सिपुर्दगी बाबत कोई तथ्य रेकार्ड पर नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी हाल काराजी न० 1101/85 व 1092/120 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिसके नक्शा ट्रेस मे हाल नम्बर तरमीम कराया जा सके। sd/- सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	उपरो... पत्र मे... पत्र र... L.R. को प्र... हुजूर...

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ अतः :: आदेश :: प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली प्रकरण इजरा की जाकर दफ्तर दाखिल हो [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मा[illegible]	